

DECLARATION BY STUDENT

1. I hereby declare that all the entries of the application made by me are correct.
2. I have gone through all the rules of the hostel and I undertake to abide all the rules and regulations of the hostel of the Samrat Prithviraj Chauhan Government College, Ajmer.
3. I will not become the defaulter in paying the hostel dues.
4. I will not involve in any sort of ragging, as laid down by Honourable Supreme Court of India.
5. If fail to observe any of the Hostel rules and regulations, I am liable to be expelled from the Hostel as well as the College.

Date.....

Signature of the Student

DECLARATION BY PARENTS

I.....Father/Mother/Guardian of

Ms.....Class.....

seeking admission in Samrat Prithviraj Chauhan Government College, Ajmer Hostel, declare that I have also, gone through all the rules and regulations of the Hostel and assure that my ward will observe all the rules and regulations of the Hostel **Including abstinence from unlawful act like ragging.**

In case my ward fails to abide by the Hostel rules, College Administration is fully authorized to expel my ward from the Hostel and College.

Date.....

Signature of the Parent/Guardian

Recommended for Admission

Date.....

Hostel Warden

Principal's Order: Admitted/Not Admitted

Principal

First Installment of College dues of Rs.....Rupees.....

.....received vide

Receipt No.....Date.....

In charge of Hostel Accounts

Room No. allotted is.....

Hostel Warden



माता / पिता / संरक्षक का अनुमति पत्र

मैं.....अपनी पुत्री.....
कक्षा....., जो छात्रा छात्रावास में निवास कर रही है, को निम्नानुसार स्वयं की
जोखिम पर अनुमति प्रदान करता / करती हूँ।

1. आवेदन पत्र में उल्लेखित स्थानीय संरक्षक के यहाँ रात्रि निवास करने की। हाँ / नहीं
2. छात्रावास के आवेदन-पत्र में उल्लेखित स्थायी आवास तक अकेले आवागमन की। हाँ / नहीं
3. छात्रा को महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम सांस्कृतिक / सामाजिक / खेलकूद / शैक्षणिक आदि में भाग लेने हेतु अजमेर व अजमेर से बाहर जाने हेतु। हाँ / नहीं
4. छात्रा को प्राइवेट सिलेबस विषय ट्यूशन के लिए महाविद्यालय से बाहर जाने हेतु।

1. ट्यूशन का नाम एवं पता

.....

2. मय फोन / मोबाइल नम्बर

3. विषय

4. समय (आने व जाने को सम्मिलित करते हुए)

5. मैंने समस्त नियम सावधानीपूर्वक पढ़ लिये हैं तथा हम दोनों इनसे पूर्णतया सहमत हैं, मुझे ध्यान है कि कॉलेज के नियमानुसार छात्रावास में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है, किन्तु निवास स्थान से छात्रावास दूर होने की वजह से मैं स्वेच्छा से छात्रा को मोबाइल दे रहा / रही हूँ। उसका मोबाइल नं...
.....व कम्पनी.....होगी।

इसके उपयोग आदि से संबंधित समस्त जिम्मेदारी मेरी व छात्रा की होगी। इसके अलावा अन्य कोई मोबाइल या सिम पाये जाने पर प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

हस्ताक्षर छात्रा

हस्ताक्षर माता / पिता / संरक्षक

नाम-.....

पता-.....

दूरभाष / मोबाइल नं.....

.....



छात्रा-छात्रावास के नियम

1. महाविद्यालय परिसर के अतिरिक्त अन्यत्र जाने के लिए छात्राएं, वार्डन की पूर्वानुमति प्राप्त करेंगी एवं छात्रावास पंजिका में गंतव्य स्थान का पूर्ण पता अंकित करेंगी। बिना पूर्वानुमति के महाविद्यालय परिसर छोड़ने पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. छात्राएं निर्धारित समय तक (ग्रीष्मकाल में सांय 6.30 बजे एवं शीतकाल में सांय 6.00 बजे) छात्रावास में अनिवार्यतः उपस्थित होंगी। विशेष परिस्थितियों में वार्डन की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।
3. छात्रावास में छात्रा अपना निजी वाहन अथवा मोबाइल नहीं रख सकेंगी।
4. छात्रावास का शैक्षिक वातावरण बनाने में सभी छात्राएं सहयोग प्रदान करेंगी, इस हेतु किसी भी प्रकार का शोर-गुल नहीं करेंगी।
5. छात्राओं हेतु भोजन व्यवस्था मैस में है, छात्रावास के बाहर से भोजन मंगवाना पूर्णतः निषिद्ध है।
6. छात्राएं प्रत्येक माह की सात तारीख तक मैस ड्यूज अनिवार्य रूप से जमा करायेंगी। अन्यथा 10/- रूपये प्रतिदिन के आधार पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा।
7. अभिभावक एवं संबंधियों को रिसेप्शन (स्वागत कक्ष) के आगे जाने की अनुमति नहीं है। आगन्तुकों के मिलने का निर्धारित समय सांय 3.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक है। आगन्तुक अपना नाम एवं छात्रा से संबंध निर्धारित पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे।
8. वार्डन की पूर्वानुमति से महिला संबंधी, अपनी वार्ड के साथ एक दिन के लिए ठहर सकती है। विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य/वार्डन से पूर्वानुमति प्राप्त कर अधिकतम चार दिवस तक ठहर सकती है।
9. परीक्षा समाप्ति के चौबीस घण्टे के अन्दर छात्राएं छात्रावास का कमरा खाली कर देंगी तथा छात्रावास छोड़ने से पूर्व अपनी समस्त देय राशि का भुगतान करेगी।
10. ग्रीष्मावकाश/दशहरा/दीपावली अवकाश में छात्राएं केवल अपने घर को ही निर्दिष्ट स्थायी पते पर प्रस्थान करेंगी, विशिष्ट परिस्थितियों में अन्यत्र जाने से पूर्व अभिभावक द्वारा वार्डन को आवश्यक रूप से लिखित में सूचित किया जाएगा।
11. छात्राएं किसी भी प्रकार की रेगिंग में सम्मिलित नहीं होंगी, अन्यथा उच्चतम न्यायालय व U.G.C. के आदेशानुसार महाविद्यालय व छात्रावास से निष्कासन के अलावा अन्य रूप से भी दण्डित किया जा सकेगा।
12. छात्राएं किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी।
13. छात्रावास से घर/अन्यत्र जाने हेतु भरा जाने वाले परफोर्मा एक दिन पूर्व लेना अनिवार्य है, अन्यथा 50/- जुर्माना मैस में जमा करवाना होगा।
14. समस्त छात्रावासीय छात्राएं उपर्युक्त नियमों एवं वार्डन/मैट्रन द्वारा समय-समय पर दिये गये अन्य अनुदेशों की अनुपालना करेंगी। पालना नहीं करने पर अथवा अनुशासन भंग करने पर छात्रा को अविलम्ब छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी छात्रा व उसके अभिभावकों की होगी।